

विषय जाना आवश्यक होगा। नीचे निर्दिष्ट शर्तों द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु वीस का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो वीस की नवीकरण की जाएगी।

- ✓ संस्था को (3000 प्रतिदिन विद्या शिबिरों तथा 100 शिबिरों, संस्थाओं को सम्बद्ध विद्यालय) विद्यार्थियों-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित जाती को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों को विद्यालय करने की शिर्षी में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों को अनुसार निश्चित एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को एम्प्लॉयीमेंट/रिजिस्ट्रारों से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताने वाले डिप्टी/विद्यार्थी/अभियन्ता/शासनादेशों/शिर्षी एवं निर्देशक, प्रतिदिन विद्यालय, 3000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रतिदिन विद्यालय, 3000 द्वारा बताने वाले विद्यार्थी, अभियन्ता, आदेशों, निर्देशों का पालन करने को निश्चिंत रहना होगा।
- ✓ निर्देशक एवं कार्यवाही अनुपालन की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. एवं विद्यालय के अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संस्था में समाप्त प्रशासनिक संस्था का होना और निश्चित रूप से शिर्षी की कार्यवाही को किए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रतिदिन विद्यालय, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रतिदिन विद्यालय निर्देशक एवं प्रतिदिन विद्यालय उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी प्रस्ताव किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश के संस्था में का शासनादेश द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ निर्देशक एवं कार्यवाही अनुपालन संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासनादेश द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु अनिश्चितित प्राप्त होने के पूर्व एम्प्लॉयीमेंट से अनुमोदन प्राप्त का परिषद शासनादेश को समाप्त करना होगा अतः संस्था उन्हें प्रवेश की (अनिश्चितित की शर्तों से अतः संस्था स्तर पर कोई प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीकरण आवश्यक शिर्षी का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समाप्त सूचनाएं वीस संस्था की ऐतिहासिक प्रतिपूर्ति, स्टाफ, शासनादेश, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनिश्चित, शासनादेश सुनिश्चित करी का निश्चित उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-परिषद हेतु उपयुक्त शासनादेश उपलब्ध करने को साथ निश्चित रखने को संस्था में समाप्त आवश्यक उपलब्ध सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रशासित/संयोजित अनुपालन को बताने वाले हेतु निश्चित शिर्षी की संस्था उपलब्ध कराने एवं अभियन्ता, प्रति-समय, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य अनुपालन को शासनादेश में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने वाले की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न करने वाले अतः शर्तों का अनुपालन किये जाने की शिर्षी में निर्देशानुसार अनुपालन/समाप्त कार्यवाही की जायेगी।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

पुस्तक- प्रतिदिन/परिषद सम्बद्धता/2020/5171-5578

तद् दिनांक: 14-8-2020

प्रतिदिन-प्रशासनादेश/निर्देशक, शासनादेश सिंह शासनादेश शिबिरों और कार्यवाही, एम्प्लॉयीमेंट शासनादेश, उत्तर प्रदेश शासन, मुंबई-244601

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दापर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वतावरण उपलब्ध करने के साथ बैरिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को बलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु0सं0- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक 09/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक RAMPAL SINGH SMARAK COLLEGE OF PHARMACY, P.O-Ratupura Tehsil-
Thakurdwara, Dist.-Moradabad-244601



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव